राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग, झुन्झुनू

दूरभाष व फैक्सः 01592–294427 **Email:-me.jhunjhunu@rajasthan.gov.in**

क्रमांकःखअ / झुझूनूं / बजरी–नीलामी / 2025–26 / दिनांकः

नीलामी हेतु उपलब्ध खनिज बजरी रोडे / ग्रिट का विवरण

झुन्झुनूं जिलें में इस कार्यालय के क्षेत्राधीन क्षेत्र सिहोड तहसील खेतडी में ग्राम सिहोड में अवैध खनन / निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्तशुदा खनिज ग्रिट / बजरी रोडे (जैसी है उसी स्थिति में) पडी हुई है, जिसकी निलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदा (दरें) दिनांक 26.06.25 (सांयकाल 5 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, झुन्झुनूं में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबन्द लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 27.06.25 को प्रातः 11 उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय में खेली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

(न्यूनतम आरक्षित दर 500 / – प्रति टन)

क.स.	स्थान का विवरण जहां जब्त किया हुआ खनिज पडा है	खनिज ग्रिट / बजरी रोडे की मात्रा(टनों में)	अमानत राशि रू	न्यूनतम निविदा राशि रू
1	सिहोड,खेतडी	1500	75000 / –	750000 / –

निलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना / क्षेत्र / स्थल का नाम जहां बजरी रोडे / ग्रिट पडा है, लिखा होना चाहियें। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियंता झुन्झुनूं में रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 26.06.25 (सायंकाल 5 बजे) तक डाली जा सकेंगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ ऊपर वर्णितानुसार बयान / अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स जो संबंधित खनि अभियन्ता, झुन्झुनूं के नाम हो, निविदा पत्र के साथ सलंग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर / चौकी / स्थल की ग्रिट / बजरी रोडे के लिए निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना / अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक अलग–अलग के संलग्न करने होगे। निविदा राशि 10 रूप्यें प्रति टन के गुणक मे ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म के भागीदारों / कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई भी राशि बकया नही है।
4. जब्तशुदा ग्रिट / बजरी रोडे की गुणवता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना / चौकी / स्थल पर किया जा सकता है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता, झुन्झुनूं के तकनीकि स्टाफ से भी ली जा सकती है।
5. जब्तशुदा ग्रिट / बजरी रोडे संबंधित थाना / चौकी / क्षेत्र / स्थल में जैसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chhagan Lal
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.06.10 17:36:56 IST
Reason: Approved

6. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 27.06.25 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, झुन्झुनू मे खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डी.डी के साथ –साथ संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस संहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमति होगी। अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ली जावेगी।
7. सफल निविदादाता को खनिज ग्रिट/बजरी रोडे के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) स्वयं के स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई.डी इत्यादि की प्रति फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑट आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करनी चाहिये।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति सलंग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र झुन्झुनूं जिला झुन्झुनू होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरानत कार्यालय खनि अभियन्ता, झुन्झुनू द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेगें तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नही किया जा सकेगा।
12. सफलतम निविदादाता को बजरी परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस संहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा।
13. 500 टन से अधिक ग्रिट/बजरी रोडे को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलाकर ही परिवहन किया जा सकेंगा। 500 टन से कम मात्रा के ग्रिट/बजरी रोडे स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनो की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टूाक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया गया जावेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई ग्रिट/बजरी रोडे के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की जवन पर्ची क्षेत्र के संबंधित नम्बर अंकित अधिकारियों को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनो की रचना किया जा सकेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chhagan Lal
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.06.10 17:36:56 IST
Reason: Approved

16. नीलामी की गई ग्रिट/बजरी रोडे का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नही होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नही हटाने पर विभग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की काई आपत्ति मान्य नही होगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन के प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनो ंस अनुमत नही होगा।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस युक्त वाहनों की प्राथमिक्ता दी जायेगी।
22. शेष सभी शर्ते सामान्य एवं वितीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।
23. उक्त नीलामी को स्थगित करने, नीलामी को फाईनल करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगी।

(छगनलाल)
खनि अभियन्ता, झुन्झुनूं

क्रमांक/खअ/झुन्झुनू/निलामी/2025–2026/ दिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं।
3. श्रीमान प्रभारी अधिकार, डी.एम.जी.ओ.एम.एस निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक, (खान) जयपुर जोन, जयपुर।
5. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर।
6. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, खेतडी।
7. श्रीमान तहसीलदार महोदय, खेतडी।
8. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाडा/खेतडी।
9. श्रीमान सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
10. श्रीमान संबंधित खनि कार्यदेशक/सर्वेयर कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

खनि अभियन्ता, झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Chhagan Lal
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.06.10 17:36:56 IST
Reason: Approved